भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

एलआईसी की जीवन अक्षय-VI

(एकल प्रीमियम तात्कालिक वार्षिकी प्लान)

LIC'S JEEVAN AKSHAY-VI

(A Single Premium Immediate Annuity Plan)

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

LIC's JEEVAN AKSHAY VI
Immediate Annuity Plan
UIN-512N234V05 Plan No. 189

भाग – अ (जारी) /PART – A (Contd...)

भारतीय जीवन बीमा निगम को (जिसे यहाँ बाद में 'निगम' कहा गया है) ''एलआईसी की जीवन अक्षय–VI'' के अंतर्गत एक तत्काल वार्षिकी के क्रय के लिए एक प्रस्ताव तथा घोषणा की प्राप्ति हुई है और उक्त प्रस्ताव तथा घोषणा उनमें निहित तथा संदर्भित कथनों सहित, जिन पर यहाँ नीचे संदर्भित अनुसूची में उल्लिखित प्रस्तावक सहमत हो गया है, वे इस वार्षिक संविदा का आधार होंगे और एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि एक वार्षिकी राशि के लिए तथा उक्त अनुसूची में उल्लिखित शर्तों पर क्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है। अब यह पॉलिसी साक्षी है कि अदा किए गए क्रय मूल्य के प्रतिफल स्वरुप निगम उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट वार्षिकी तथा क्रय मूल्य (यदि देय हो) का भुगतान, बिना ब्याज के, अपने उस कार्यालय में जहाँ इस पॉलिसी को सेवा उपलब्ध कराई जाती है या अपने किसी अन्य कार्यालय में, उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों को जिन्हें वह उसमें लिखे अनुसार देय हो, निगम को हर वार्षिकी भुगतान के संबंध में संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर करेगा कि वह वार्षिकी भुगतान देय हो चुका है और उस घटना के घटित होने के बारे में भी जिसके कारण इस पॉलिसी कागजात में निर्धारित किए गए अनुसार क्रय मूल्य देय हो गया है और वार्षिकी/क्रय मूल्य प्राप्त करने का दावा करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों को उसे प्राप्त करने का दावा करने का हक मिला है। परंतु यह वार्षिकी–ग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी बंद या समाप्त हो जाए, तब उस समय के लिए उक्त वार्षिकी का कोई भाग देय नहीं होगा और न ही दिया जाएगा जो वार्षिकी–ग्राही की मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान की तिथि और उसकी मृत्यु के दिन के बीच गुजरे; जिस दिन उक्त वार्षिकी देय हो उस दिन 12 बजे वार्षिकी–ग्राही के जीवित होने का तथ्य समय–समय पर उस तरीके से विधिवत प्रमाणित किया जाएगा जैसे निगम द्वारा अपेक्षित हो। और एतद्द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि यह पॉलिसी परिभाषाओं, हितलाभों, सेवा प्रदान करने से संबंधित शर्तों तथा इसके पृष्ठ भाग पर मुद्रित अन्य नियमों तथा वैधानिक प्रावधानों, शर्तों एवं सुविधाओं के अधीन होगी और इसकी अनुसूची और निगम द्वारा पॉलिसी पर किया गया हर पृष्ठांकन पॉलिसी का अंग माना जाएगा।

Whereas the LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "the Corporation") has received a Proposal and Declaration for the purchase of an Immediate Annuity under the "LIC's Jeevan Akshay-VI Plan" and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein, which the Proposer named in the Schedule referred to herein below has agreed shall be and are hereby declared to be the basis of this Annuity Contract and has received the purchase price for an Annuity amount and on the terms stated in the said Schedule. Now this Policy Witnesseth that in consideration of the purchase price paid, the Corporation will pay either at its office where this policy is serviced or at some of its other office the annuity and Purchase Price (if payable) as specified in the said Schedule, but without interest, to the person/persons to whom the same is / are therein expressed to be payable upon proof to the satisfaction of the Corporation being furnished, in respect of each annuity payment , that the annuity payment in question has become payable and also in respect of the happening of the event on which the purchase price is to become payable as set out in this Policy Document and the title of the person/persons claiming to receive the annuity / purchase price.But where the annuity ceases or determines on the death of the annuitant, no part of the said Annuity shall be payable or paid for such time as may elapse between the date of payment immediately preceding the death of annuitant and the day of his/her death, the subsistence of life of the annuitant at twelve o'clock on the day on which the said annuity falls due being duly certified from time to time in such manner as the Corporation may require. And it is hereby declared that this policy shall be subject to the Definitions, Benefits, Conditions Related To Servicing Aspects, Other Terms And Conditions and Statutory Provisions printed on the back hereof and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed to be part of the Policy.

मण्डल कार्यालय / DIVISIONAL OFFICE: **अनुसूची / SCHEDULE** **शाखा कार्यालय / BRANCH OFFICE:**

पॉलिसी सं.: Policy No.: पॉलिसी आरम्भ होने की तिथि: Date of Commencement of Policy:	प्लान सं.: Plan No.: वार्षिकी–ग्राही की उम्र: Age of the Annuitant :	वार्षिकी भुगतान की राशि: (₹) Amount of annuity payment : (₹)	क्रय मूल्य: (₹) Purchase Price: (₹)

वार्षिकी–ग्राही का नाम और पता: Name and Address of Annuitant :	प्रस्ताव सं.: Proposal No. : प्रस्ताव की तिथि: Date of proposal: पॉलिसी जारी करने की तिथि: Date of issuance of policy: जन्म तिथि: Date of Birth : क्या उम्र स्वीकृत है? Whether age admitted : वार्षिकी के भुगतान का माध्यम: Mode of payment of annuity: प्रथम वार्षिकी के भुगतान की तिथि: Date of 1st annuity payment: देय तिथि: Due date :
(बीमा अधिनियम, 1938 की धारा–39 के अंतर्गत) वार्षिकी–ग्राही का नामिती और संबंध: Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938 of Annuitant and Relationship: यदि नामित अवयस्क है, तो नियुक्त व्यक्ति का नाम: If Nominee is a minor, the name of the Appointee:	जीवनसाथी का नाम: Name of Spouse:

वार्षिकी का प्रकार/Type of Annuity:

लाभार्थी, हितलाभ जिसे देय हैं Beneficiary to whom Benefits payable	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत वार्षिकी–ग्राही या उत्तरजीवी नामित जीवनसाथी या वार्षिकी–ग्राही का नामित व्यक्ति को या प्रमाणित निष्पादकों या प्रशासकों या वार्षिकी–ग्राही के अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को जिन्होंने उसकी सम्पदा या इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि मात्र के लिए भारत संघ के किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के किसी न्यायालय, जो भी लागू हो, से अपने प्रतिनिधि होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा। To the Annuitant or surviving named spouse or Annuitant's Nominee under Section 39 of the Insurance Act 1938 or Proved Executors or Administrators or other legal representatives of the Annuitant who should take out representation to his / her estate or limited to the monies payable under this policy from any court of any State or territory of the Union of India, as applicable.

निगम के लिए उपरोक्त शाखा कार्यालय पर हस्ताक्षरित, जिसका पता अंतिम पृष्ठ पर दिया गया है तथा जिस पर पॉलिसी से संबंधित सभी पत्राचार भेजे जाने चाहिए ।
Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned branch office whose address is given on the last page and to which all communications relating to the policy should be addressed.

दिनांक / Date:

जांचकर्ता / Examined by:

फॉर्म नं. / Form No.:

मुख्य/वरिष्ठ/शाखा प्रबंधक
p. Chief / Sr./ Branch Manager

एजेन्सी कोड Agency Code	एजेन्सी का नाम Agency Name	एजेन्ट का मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबर Agent's Mobile Number/Landline Number

भाग-ब: परिभाषाएं

पॉलिसी दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों/शब्दावलियों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

1. **उम्र** का अर्थ पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि को वार्षिकी-ग्राही के पिछले जन्मदिन पर उम्र है।
2. **वार्षिकी-ग्राही** वह व्यक्ति है जिसके जीवन पर यह पॉलिसी ली गई है और जो वार्षिकी के हितलाभों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।
3. **वार्षिकी** का अर्थ इस पॉलिसी के अंतर्गत विनिर्धारित अंतरालों पर देय विनिर्धारित राशि है जिसका उल्लेख अनुसूची में किया गया है तथा जो वार्षिकी-ग्राही द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार देय है, जिसकी साक्ष्य पॉलिसी की अनुसूची है।
4. **नियुक्त-व्यक्ति (एपॉइन्टी)** वह व्यक्ति है जिसे पॉलिसी के अंतर्गत दावे के भुगतान की तिथि को नामित के नाबालिग होने तथा उसे दावे की राशि देय होने पर वह सुरक्षित राशि/हितलाभ देय है।
5. **निगम** का अर्थ एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम से है।
6. **पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि** का अर्थ इस पॉलिसी के शुरू होने की तिथि है।
8. **देय तिथि** का अर्थ वह निर्धारित तिथि है जब वार्षिकी देय तथा भुगतान योग्य हो।
8. **पृष्ठांकन** से अर्थ निगम द्वारा किन्हीं सहमत या जारी संशोधनों वा आशोधनों को इस पॉलिसी में शामिल करने के लिए संलग्न/जोड़ी गई शर्तों से है।
9. **फ्री लुक अवधि:** पॉलिसीधारक के पास पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति से 15 दिनों (30 दिन, अगर पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदा गया हो) की अवधि इस पॉलिसी के नियमों तथा शर्तों की समीक्षा करने के लिए है, और अगर पॉलिसीधारक उन नियमों तथा शर्तों में से किसी से असहमत हो, तो उसके पास इस पॉलिसी को लौटाने का विकल्प है।
10. **गारंटी अवधि** संविदा के आारंभ में वार्षिकी-ग्राही द्वारा चुने गए वार्षिकी विकल्प में उल्लेख किए गए अनुसार, संविदा के आरंभ होने की तिथि से शुरु होने वाली अवधि है, जिसके लिए वार्षिकी के भुगतान किए जाने की गारण्टी है।
11. **आईआरडीएआई** का अर्थ है इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसे पहले इंश्योरेन्स रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (आईआरडीए) कहा जाता था।
12 **अवयस्क या नाबालिग** वह व्यक्ति है जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी न की हो।
13. **नामांकन** किसी व्यक्ति को नामांकित करने की प्रक्रिया है, जो कि प्रस्ताव प्रपत्र में 'नामित' हो या जिसे पृष्ठांकन के द्वारा बाद में शामिल/बदला गया हो। नामांकन समय-समय पर यथासंशोधित, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।
14. **नामित** इस पॉलिसी के अंतर्गत नामांकित व्यक्ति है जो कि वार्षिकी-ग्राही/नामित जीवनसाथी, जो भी लागू हो; की मृत्यु पर, चुने गए वार्षिकी विकल्प के अनुसार, इस पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभ/भों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।
15. **पॉलिसी/पॉलिसी दस्तावेज** का अर्थ पृष्ठांकनों, अगर कोई हों, सहित निगम द्वारा जारी वह दस्तावेज है जो कि पॉलिसीधारक तथा निगम के बीच एक वैधानिक अनुबंध होता है।
16. **पॉलिसीधारक** इस पॉलिसी का कानूनी मालिक है।
17. **क्रय कीमत/प्रीमियम** पॉलिसी के अंतर्गत हितलाभों को सुरक्षित करने के लिए इस पॉलिसी दस्तावेज की अनुसूची में उल्लेख की गई राशि है, जो कि पॉलिसीधारक द्वारा अदा की जानी है। शब्द क्रय कीमत और प्रीमियम को इस पॉलिसी दस्तावेज में आपस में अदला-बदली कर इस्तेमाल किया गया है। क्रय कीमत/प्रीमियम में कोई कर शामिल नहीं है।
18. **अनुसूची** पॉलिसी दस्तावेज का एक अंग है जिसमें आपकी पॉलिसी का विवरण मौजूद है।
19. **अभ्यर्पण** का अर्थ, इस पॉलिसी दस्तावेज़ के शर्त 3 के भाग डी के उल्लेखनानुसार, पूरी पॉलिसी को परिपक्वता से पहले वापस लेना/समाप्त करना है।
20. **अभ्यर्पण मूल्य** का अर्थ, वह राशि है, अगर कोई हो, जो कि विकल्प F- ''क्रय कीमत को लौटाए जाने के साथ आजीवन वार्षिकी'' के अंतर्गत लौटाने की स्थिति में इस पॉलिसी के नियमों तथ शर्तों के अनुसार उसे देय होती है।
21. **UIN** का अर्थ इस प्लान को आईआरडीएआई द्वारा आबंटित यूनीक आइडेन्टिफिकेशन नंबर है।

भाग - स: हितलाभ

पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय हैं:

1) **वार्षिकी विकल्प:** विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत निम्न अनुसार हितलाभ देय हैं:

PART – B: DEFINITIONS

The definitions of terms/words used in the Policy Document are as under:

1. **Age** is the age last birthday of the Annuitant on the date of commencement of the policy.
2. **Annuitant** is the person on whose life this policy has been taken and who is entitled to receive the annuity benefits.
3. **Annuity** means a specified amount payable under this policy at specified regular intervals as mentioned in the schedule and payable as per the specification under the option chosen by the annuitant as evidenced in the schedule of the policy.
4. **Appointee** is the person to whom the proceeds/benefits secured under the Policy are payable on behalf of the nominee if the benefit becomes payable to the nominee and nominee is minor as on the date of claim payment.
5. **Corporation** means the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the LIC Act, 1956.
6. **Date of commencement of policy** is the start date of this Policy.
7. **Due Date** means a fixed date on which the annuity is due and payable.
8. **Endorsement** means conditions attached/affixed to this Policy incorporating any amendments or modifications agreed to or issued by the Corporation.
9. **Free Look Period** is the period of 15 days (30 days if this policy is purchased online) from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder to review the terms and conditions of this policy and where the Policyholder disagrees to any of those terms and conditions, he/ she has the option to return this policy.
10. **Guaranteed Period** means the period, beginning from the date of commencement of policy as stated in the annuity option chosen by the annuitant at the inception of the contract, for which the annuity is guaranteed to be payable.
11. **IRDAI** means Insurance Regulatory and Development Authority of India earlier called as Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
12. **Minor** is a person who has not completed 18 years of age.
13. **Nomination** is the process of nominating a person who is named as "Nominee" in the proposal form or subsequently included/ changed by an endorsement. Nomination should be in accordance with provisions of Section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.
14. **Nominee** is the person nominated under this policy and who is authorized to receive the benefit/s under this policy, on the death of the Annuitant/named spouse, wherever applicable as per the annuity option chosen..
15. **Policy/Policy Document** means this document along with endorsements, if any, issued by the Corporation which is a legal contract between the Policyholder and the Corporation.
16. **Policyholder** is the legal owner of this policy.
17. **Purchase Price / Premium** is an amount payable by the Policyholder as mentioned in the schedule of this Policy Document to secure the benefits under the policy. The term Purchase Price and Premium are used interchangeably in this Policy Document. Purchase Price / Premium does not include any taxes.
18. **Schedule** is the part of policy document that gives the specific details of your policy.
19. **Surrender** means complete withdrawal / termination of the entire Policy, as mentioned in the condition 3 of part D of this policy document.
20. **Surrender Value** means an amount, if any, that becomes payable in case of surrender under Option F - "Annuity for life with return of purchase price" in accordance with the terms and conditions of this policy.
21. **UIN** means the Unique Identification Number allotted to this plan by the IRDAI.

PART – C: BENEFITS

The following benefits are payable under the policy:

1. **Annuity Option:** The benefits payable under various options are as under:

वार्षिकी विकल्प	वार्षिकी के प्रकार	वार्षिकी हितलाभ
विकल्प A	आजीवन वार्षिकी	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा।
विकल्प B	5 वर्ष वार्षिकी की गारंटी और उसके बाद जीवन भर के लिए	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक या 5 वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा।
विकल्प C	10 वर्ष वार्षिकी की गारंटी और उसके बाद जीवन भर के लिए	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक या 10 वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा।
विकल्प D	15 वर्ष वार्षिकी की गारंटी और उसके बाद जीवन भर के लिए	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक या 15 वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा।
विकल्प E	20 वर्ष वार्षिकी की गारंटी और उसके बाद जीवन भर के लिए	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक या 20 वर्ष की गारंटी अवधि की समाप्ति तक, जो भी बाद में हो, वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। वार्षिकी विकल्प B, C, D और E के अंतर्गत गारंटी अवधि के दौरान वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर गारंटी अवधि की समाप्ति तक वार्षिकी नामित व्यक्ति को देय होगी।
विकल्प F	क्रय कीमत को लौटाए जाने के साथ आजीवन वार्षिकी	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और नामित व्यक्ति को क्रय कीमत देय होगी।
विकल्प G	3% वार्षिक साधारण दर से बढ़ती आजीवन वार्षिकी	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। प्रत्येक पूर्ण पॉलिसी वर्ष के लिए वार्षिकी भुगतान को 3% प्रति वर्ष की सरल दर से बढ़ाया जाएगा। वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा।
विकल्प H	आजीवन वार्षिकी के साथ वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर जीवनसाथी को 50% वार्षिकी मिलने का प्रावधान	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी की राशि के 50% का भुगतान उत्तरजीवी नामित जीवनसाथी को उसके जीवित रहने तक किया जाता रहेगा। तत्पश्चात जीवनसाथी की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा। अगर जीवनसाथी की मृत्यु वार्षिकी-ग्राही से पहले हो जाती है, तो वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा।
विकल्प I	आजीवन वार्षिकी के साथ वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर जीवनसाथी को 100% वार्षिकी मिलने का प्रावधान	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी की राशि के 100% का भुगतान उत्तरजीवी नामित जीवनसाथी को उसके जीवित रहने तक किया जाता रहेगा। तत्पश्चात जीवनसाथी की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा। अगर जीवनसाथी की मृत्यु वार्षिकी-ग्राही से पहले हो जाती है, तो वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा।
विकल्प J	आजीवन वार्षिकी के साथ वार्षिकी ग्राही की मृत्यु पर जीवनसाथी को 100% वार्षिकी मिलने का प्रावधान, अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय कीमत को लौटाए जाने के साथ	इस विकल्प के अंतर्गत वार्षिकी-ग्राही के जीवित रहने तक वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी की राशि के 100% का भुगतान उत्तरजीवी नामित जीवनसाथी को उसके जीवित रहने तक किया जाता रहेगा. तत्पश्चात जीवनसाथी की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और क्रय कीमत नामित व्यक्ति को देय होगी। अगर जीवनसाथी की मृत्यु वार्षिकी-ग्राही से पहले हो जाती है, तो वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा। और क्रय कीमत नामित व्यक्ति को देय होगी.

Annuity Options	Types of Annuity	Annuity Benefits
Option A	Annuity for life	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive. The annuity payments will cease on the death of the Annuitant.
Option B	Annuity guaranteed for 5 years and for life thereafter	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive or until the end of the Guaranteed Period of 5 years, whichever is later.
Option C	Annuity guaranteed for 10 years and for life thereafter	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive or until the end of the Guaranteed period of 10 years, whichever is later.
Option D	Annuity guaranteed for 15 years and for life thereafter	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive or until the end of the Guaranteed period of 15 years, whichever is later.
Option E	Annuity guaranteed for 20 years and for life thereafter	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive or until the end of the Guaranteed period of 20 years, whichever is later. Under the Annuity Options B, C, D and E, on death of Annuitant during the Guaranteed Period, the annuity shall become payable to the nominee till the expiry of Guaranteed Period.
Option F	Annuity for life with return of purchase price	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive. The annuity payments will cease on the death of the Annuitant and the Purchase Price will be payable to the Nominee.
Option G	Annuity for life increasing at a simple rate of 3% p.a.	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive. The annuity payment will be increased by a simple rate of 3% per annum for each completed policy year. The annuity payments will cease on the death of the Annuitant.
Option H	Annuity for life with a provision for 50% of the annuity to the spouse on death of the annuitant.	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive. On death of the Annuitant, 50% of the annuity amount will be payable to the surviving named spouse as long as the spouse is alive. The annuity payments will cease on the subsequent death of the Spouse. If the Spouse predeceases the Annuitant, the annuity payments will cease upon the death of the Annuitant.
Option I	Annuity for life with a provision for 100% of the annuity to the spouse on death of the annuitant.	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive. On death of the Annuitant, 100% of the annuity amount will be payable to the surviving named spouse as long as the spouse is alive. The annuity payments will cease on the subsequent death of the Spouse. If the Spouse predeceases the Annuitant, the annuity payments will cease upon the death of the Annuitant.
Option J	Annuity for life with a provision for 100% of the annuity to the spouse on death of the annuitant with return of purchase price on the death of last survivor	Under this option, the annuity payments will be made in arrears for as long as the Annuitant is alive. On death of the Annuitant, 100% of the annuity amount will be payable to the surviving named spouse as long as the spouse is alive. The annuity payments will cease on the subsequent death of the Spouse and the Purchase Price will be payable to the Nominee. If the Spouse predeceases the Annuitant, the annuity payments will cease upon the death of the Annuitant and the Purchase Price will be payable to the Nominee.

2) **मृत्यु हितलाभ:** वार्षिकी विकल्प के अनुसार मृत्यु हितलाभ में भिन्नता होगी। विभिन्न वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत उपलब्ध. मृत्यु हितलाभ निम्न अनुसार है:

वार्षिकी विकल्प	**वार्षिकी के प्रकार**	**मृत्य हितलाभ**
विकल्प A	आजीवन वार्षिकी	वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, कुछ भी देय नहीं होगा। वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
विकल्प B	5 वर्ष वार्षिकी की गारंटी और उसके बाद जीवन भर के लिए	अगर 5 वर्ष की गारंटी अवधि के दौरान वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को गारंटी अवधि की समाप्ति तक वार्षिकी मिलती रहेगी। इस गारंटी अवधि की समाप्ति पर वार्षिकी का भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी 5 वर्ष की गारंटी अवधि के बाद वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
विकल्प C	10 वर्ष वार्षिकी की गारंटी और उसके बाद जीवन भर के लिए	अगर 10 वर्ष की गारंटी अवधि के दौरान वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को गारंटी अवधि की समाप्ति तक वार्षिकी मिलती रहेगी। इस गारंटी अवधि की समाप्ति पर वार्षिकी का भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। 10 वर्ष की गारंटी अवधि के बाद वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
विकल्प D	15 वर्ष वार्षिकी की गारंटी और उसके बाद जीवन भर के लिए	अगर 15 वर्ष की गारंटी अवधि के दौरान वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को गारंटी अवधि की समाप्ति तक वार्षिकी मिलती रहेगी। इस गारंटी अवधि की समाप्ति पर वार्षिकी का भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। 15 वर्ष की गारंटी अवधि के बाद वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
विकल्प E	20 वर्ष वार्षिकी की गारंटी और उसके बाद जीवन भर के लिए	20 वर्ष की गारंटी अवधि के दौरान वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को गारंटी अवधि की समाप्ति तक वार्षिकी मिलती रहेगी। इस गारंटी अवधि की समाप्ति पर वार्षिकी का भुगतान तुरंत बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी 20 वर्ष की गारंटी अवधि के बाद वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
विकल्प F	क्रय कीमत को लौटाए जाने के साथ आजीवन वार्षिकी	वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर, वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा। नामित व्यक्ति को क्रय कीमत का भुगतान किया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
विकल्प G	3% वार्षिक साधारण दर से बढ़ती आजीवन वार्षिकी	वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर, वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
विकल्प H	आजीवन वार्षिकी के साथ वार्षिकी ग्राही की मृत्यु पर जीवनसाथी 50% वार्षिकी मिलने का प्रावधान	वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी की राशि का 50% उत्तरजीवी नामित जीवनसाथी को जीवनसाथी के जीवित रहने तक देय होगा। तत्पश्चात जीवनसाथी की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा। और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। अगर जीवनसाथी की मृत्यु वार्षिकी-ग्राही से पहले हो जाती है तो वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

2. **Death Benefit:** The death benefit will vary depending on the Annuity option. The death benefit payable under various Annuity option are as under:

Annuity Options	**Types of Annuity**	**Death Benefits**
Option A	Annuity for life	On the death of the Annuitant, nothing shall be payable. The annuity payments will cease immediately and the policy will terminate.
Option B	Annuity guaranteed for 5 years and for life thereafter	If the death of the Annuitant occurs during the Guaranteed Period of 5 years, then the annuity shall become payable to the nominee till the expiry of Guaranteed Period. Upon the expiry of this Guaranteed Period, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate. On the death of the Annuitant after the Guaranteed Period of 5 years, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate.
Option C	Annuity guaranteed for 10 years and for life thereafter	If the death of the Annuitant occurs during the Guaranteed Period of 10 years, then the annuity shall become payable to the nominee till the expiry of Guaranteed Period. Upon the expiry of this Guaranteed Period, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate. On the death of the Annuitant after the Guaranteed Period of 10 years, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate.
Option D	Annuity guaranteed for 15 years and for life thereafter	If the death of the Annuitant occurs during the Guaranteed Period of 15 years, then the annuity shall become payable to the nominee till the expiry of Guaranteed Period. Upon the expiry of this Guaranteed Period, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate. On the death of the Annuitant after the Guaranteed Period of 15 years, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate.
Option E	Annuity guaranteed for 20 years and for life thereafter	If the death of the Annuitant occurs during the Guaranteed Period of 20 years, then the annuity shall become payable to the nominee till the expiry of Guaranteed Period. Upon the expiry of this Guaranteed Period, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate. On the death of the Annuitant after the Guaranteed Period of 20 years, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate.
Option F	Annuity for life with return of purchase price	On the death of the Annuitant, the annuity payments will cease immediately. Purchase Price will be payable to the Nominee and the policy will terminate.
Option G	Annuity for life increasing at a simple rate of 3% p.a.	On the death of the Annuitant, the annuity payments will cease immediately and the policy will terminate.
Option H	Annuity for life with a provision for 50% of the annuity to the spouse on death of the annuitant.	On death of the Annuitant, 50% of the annuity amount will be payable to the surviving named spouse as long as the spouse is alive. The annuity payments will cease immediately on the subsequent death of the Spouse and the policy will terminate. If the Spouse predeceases the Annuitant, the annuity payments will cease immediately upon the death of the Annuitant and the policy will terminate.

विकल्प I	आजीवन वार्षिकी के साथ वार्षिकी ग्राही की मृत्यु पर जीवनसाथी 100% वार्षिकी मिलने का प्रावधान	वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी की राशि का 100% उत्तरजीवी नामित जीवनसाथी को जीवनसाथी के जीवित रहन तक देय होगा। तत्पश्चात जीवनसाथी की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा। और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। अगर जीवनसाथी की मृत्यु वार्षिकी-ग्राही से पहले हो जाती है तो वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।
विकल्प J	आजीवन वार्षिकी के साथ वार्षिकी ग्राही की मृत्यु पर जीवनसाथी को 100% वार्षिकी मिलने का प्रावधान, अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय कीमत को लौटाए जाने के साथ	वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी की राशि का 100% उत्तरजीवी को जीवनसाथी के जीवित रहने तक देय होगा। तत्पश्चात जीवनसाथी की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा। और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और नामित व्यक्ति को क्रय कीमत देय होगी। अगर जीवनसाथी की मृत्यु वार्षिकी-ग्राही से पहले हो जाती है तो वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर वार्षिकी का भुगतान तुरन्त बंद हो जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और नामित व्यक्ति को क्रय कीमत देय होगी।

3) **परिपक्वता हितलाभ:** इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई परिपक्वता हितलाभ देय नहीं है।

भाग - द: सेवाएं प्रदान करने से संबंधित शर्तें

1. **उम्र का प्रमाण:** क्रय कीमत की गणना प्रस्ताव प्रपत्र में घोषित वार्षिकी-ग्राही की उम्र पर की गई है, अगर इस उम्र को वास्तविक उम्र से अलग (अधिक/कम) पाया जाता है। तो निगम के अन्य अधिकारों तथा उपचारों पर प्रतिकूल प्रमाण डाले बिना, जिसमें समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत भी शामिल हैं, निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

   (i) अगर वार्षिकी-ग्राही की सही उम्र प्रस्ताव प्रपत्र में घोषित उम्र से कम है, तो अगली वार्षिकी की देय तिथि से वार्षिकी भुगतानों को वार्षिकी-ग्राही की सही उम्र के अनुरुप बदल दिया जाएगा और पॉलिसी के आरंभ होने की तिथि से ऐसे भुगतान की तिथि तक वास्तविक वार्षिकी एवं संशोधित वार्षिकी के बीच के अंतर की कुल राशि का भुगतान निगम को, निगम से द्वारा समय-समय पर विनिर्धारित ब्याज की दर से ब्याज के साथ करना होगा। विगत में भुगतान की गई गलत वार्षिकियों के कारण उत्पन्न अंतर को ब्याज के साथ वार्षिकी-ग्राही से लिया जाएगा या आगामी वार्षिकी भुगतानों से समायोजित किया जाएगा।

   (ii) अगर वार्षिकी-ग्राही की सही उम्र प्रस्ताव प्रपत्र में घोषित उम्र से अधिक है, तो अगली वार्षिकी की देय तिथि से वार्षिकी भुगतानों को वार्षिकी-ग्राही की सही उम्र के अनुरुप बदल दिया जाएगा।

   (iii) अगर सही उम्र, वार्षिकी-ग्राही को इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा के लिए अयोग्य बनाती हों तो इस पॉलिसी को रद्द कर दिया जाएगा तथा स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स या भुगतान की गई वार्षिकी राशि (अगर कोई हो) को काटकर क्रय कीमत को लौटा दिया जाएगा।

2. **कुछ परिस्थितियों में जब्ती:** यदि इसमें निहित या इस पर पृष्ठांकित किसी शर्त का उल्लंघन किया जाए या यदि बाद में पता चले कि इसमें उल्लिखित प्रस्ताव तथा घोषणा में या इसमें संदर्भित कथनों में कोई असत्य या गलत बयान सम्मिलित है या उसे सत्य तथा स्पष्ट रुप से नहीं कहा गया है या कोई तात्विक जानकारी छिपाई गयी है, तो और ऐसे हर मामले में, समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन, जहाँ कहीं लागू होती हो, यह पॉलिसी अवैध हो जाएगी और इससे संबंधित किसी भी हितलाभ के सभी दावे समाप्त हो जाएँगे।

3. **अभ्यर्पण:** अगर चुना गया वार्षिकी विकल्प है ''क्रय कीमत को लौटाए जाने के साथ आजीवन वार्षिकी'' तो निम्नलिखित में किसी परिस्थिति के अंतर्गत कम से कम एक पॉलिसी वर्ष को पूरा करने के बाद अभ्यर्पण की अनुमति होगी:

   अ. अगर वार्षिकी-ग्राही में विनिर्धारित गंभीर (क्रिटिकल) बीमारियों में से किसी का निदान हुआ हो।

   ब. अगर वार्षिकी-ग्राही स्थायी रुप से किसी दूसरे देश को स्थानांतरित हो रहा हो, जिसका वीज़ा या नागरिकता संबंधी दस्तावेज साक्ष्य हो।

Option I	Annuity for life with a provision for 100% of the annuity to the spouse on death of the annuitant.	On death of the Annuitant, 100% of the annuity amount will be payable to the surviving named spouse as long as the spouse is alive. The annuity payments will cease immediately on the subsequent death of the Spouse and the policy will terminate. If the Spouse predeceases the Annuitant, the annuity payments will cease immediately upon the death of the Annuitant and the policy will terminate.
Option J	Annuity for life with a provision for 100% of the annuity to the spouse on death of the annuitant with return of purchase price on the death of last survivor	On death of the Annuitant, 100% of the annuity amount will be payable to the surviving named spouse as long as the spouse is alive. The annuity payments will cease immediately on the subsequent death of the Spouse. The Purchase Price will be payable to the Nominee and the policy will terminate. If the Spouse predeceases the Annuitant, the annuity payments will cease immediately upon the death of the Annuitant. The Purchase Price will be payable to the Nominee and the policy will terminate.

3. **Maturity Benefit:** There is no maturity benefit under this policy.

PART-D: CONDITIONS RELATED TO SERVICING ASPECTS

1. **Proof of Age:** The purchase price having been calculated on the age of the Annuitant as declared in the Proposal Form, in case the age is found different (lower/higher) than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, as amended from time to time the following action shall be taken:

   (i) If the Annuitant's correct age is lower than the age declared in the Proposal Form, the Annuity payments payable under the Policy shall be altered corresponding to the correct age of the Annuitant from the next Annuity due date and the total of the difference between the original Annuity and the corrected Annuity from the Date of Commencement of Policy up to the date of such payment, be paid to the Corporation with interest at such rate as fixed by the Corporation from time to time. The difference arising out of incorrect annuities paid in the past along with interest shall be collected from the Annuitant or would be adjusted from the following Annuity payments.

   (ii) If the Annuitant's correct age is higher than the age declared in the Proposal Form, the Annuity payments payable under the Policy shall be altered corresponding to the correct age of the Annuitant from the next due date of Annuity payment.

   (iii) If the correct age is such as would have made the Annuitant uninsurable under this Policy, then this policy shall be cancelled and the Purchase Price paid may be refunded after deducting the charges for stamp duty, taxes and Annuity paid (if any)

2. **Forfeiture in certain events:** In case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened, or in case it shall hereafter appear that any untrue or incorrect averment is contained in the proposal and declaration herein mentioned, or in the statements referred to therein, have not been truly and fairly stated or that any material information has been withheld, then and in every such case this policy shall be void and all claims to any benefit in virtue of this policy shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time.

3. **Surrender:** If the chosen Annuity Option is "Annuity for life with return of purchase price", surrender shall be allowed after completion of atleast one policy year under any of the following circumstances:

   A. If the annuitant is diagnosed as suffering from any of the specified critical illnesses.

   B. If the annuitant is shifting to another country

अभ्यर्पण के विस्तृत नियम तथा शर्तें परिशिष्ट I में दिए गए हैं।

''क्रय कीमत को लौटाए जाने के साथ आजीवन वार्षिकी'' के अलावा सभी विकल्पों के लिए किसी भी मामले में अभ्यर्पण की अनुमति नहीं होगी।

4. **पॉलिसी ऋण:** इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई ऋण देय नहीं है।

5. **फ्री लुक अवधि:** पॉलिसीधारक को पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों (30 दिन अगर इस पॉलिसी को ऑनलाइन खरीदा गया हो) की फ्री लुक अवधि के दौरान अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी के नियमों तथा शर्तें से संतुष्ट न हो वो वह आपत्तियों के कारणों का उल्लेख करते हुए पॉलिसी को निगम को लौटा सकता है। पॉलिसी प्राप्त होने पर निगम द्वारा इसे रद्द करके स्टैम्प ड्यूटी हेतु शुल्क और अदा की गई इसे वार्षिकी, अगर कोई हो, को काटकर भुगतान किए गए क्रय मूल्य को लौटा दिया जाएगा।

भाग – य लागू नहीं

भाग – र: अन्य नियम व शर्तें

1. **अ) समनुदेशन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत समानुदेशन की अनुमति नहीं है।

   ब) नामांकन: समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार नामांकन अपेक्षित है। धारा 39 के मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-II में दिए गए हैं।

   नामांकन की सूचना या नामांकन में परिवर्तन की सूचना पंजीकरण के लिए निगम के उस कार्यालय में दी जानी चाहिए, जहां पॉलिसी को सेवा प्रदान की जाती है। निगम नामांकन का पंजीकरण कर इसकी वैधता या कानूनी प्रभाव के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है या अपनी कोई राय नहीं व्यक्त करता है।

2. **कर:** ऐसी बीमा योजनाओं पर यदि कोई वैधानिक कर भारत सरकार या किसी अन्य भारत की संवैधानिक संस्था द्वारा कर लगाया जाता है तो वह समय-समय पर लागू कर संबंधी कानूनों और कर की दर के अनुसार होगा।

   पॉलिसीधारक को क्रय कीमत पर मौजूदा दरों के अनुसार सेवा कर का भुगतान करना होगा। भुगतान किए गए कर की राशि को प्लान के अंतर्गत देय हितलाभों की गणना हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

3. **देय हितलाभ के लिए सामान्य अपेक्षाएं:**

   वार्षिकियों के भुगतान के लिए:
   निगम द्वारा मांग किए जाने पर वार्षिकी-ग्राही को निगम द्वारा विनिर्धारित फॉर्मेट में विद्यमानता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। विकल्प H/I/J के प्रकरण में (जैसा कि भाग C की शर्त में परिभाषित किया गया है), वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु के बाद उत्तरजीवी जीवनसाथी के विद्यमानता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।

   विद्यमानता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद ही वार्षिकी भुगतान जारी किए जाएंगे।

   वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु पर:
   वार्षिकी-ग्राही की मृत्यु के प्रकरण में दावेदारों को दावा दर्ज करने के लिए जो सामान्य कागजात जमा कराने होंगे उनमें शामिल हैं निगम द्वारा विनिर्धारित दावा फॉर्म, मूल पॉलिसी दस्तावेज, हक का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, इनमें से जो भी लागू हो तथा ये कंपनी के लिए जो संतोषजनक हो। ग्राही की ओर से एनईएफ़टी में यह जनादेश है कि दावे की राशि को सीधे ग्राही के बैंक खाते में जमा कराया जाए।

4. **वैधानिक परिवर्तन:** इस पॉलिसी के अंतर्गत उल्लिखित नियम व शर्तों में संबंधित विधानों और विनियमों के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं।

भाग – ल: सांविधिक प्रावधान

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45:

समय-समय पर यशासंशोधित बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 का प्रावधान लागू होगा। मौजूदा प्रावधान इस पॉलिसी दस्तावेज के परिशिष्ट-III में मौजूद है।

शिकायत समाधान प्रणाली:

ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निगम के शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केन्द्रीय कार्यालय में शिकायत समाधान अधिकारी हैं। ग्राहकों की शिकायत का शीघ्र समाधान करने के लिए निगम ने अपने कस्टमर पोर्टल (वेबसाइड) http://www.licindia.in के ज़रिए ग्राहकोन्मुखी एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की है, जिसके ज़रिए पंजीकृत पॉलिसीधारक अपनी शिकायत को सीधे दर्ज कर सकते हैं तथा उसकी स्थिति पर निगरानी रख सकते हैं। ग्राहक अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए ईमेल आईडी co_crmgrv@licindia.com पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

permanently as evidenced in their visa or citizenship documents.

The details of the term and conditions of the surrender are given in Annexure I.

For all annuity options other than "Annuity for life with return of purchase price" surrender shall not be allowed in any case.

4. **Policy Loan:** No loan is payable under this policy.

5. **Free-Look period:** During the Free Look period of 15 days (30 days if this policy is purchased online) from the date of receipt of the Policy Document by the Policyholder, if the Policyholder is not satisfied with the Terms and Conditions of the policy, he/she may return the policy to the Corporation stating the reason of objections. On receipt of the same the Corporation shall cancel the Policy and return the Purchase Price paid after deducting the charges for stamp duty and annuity paid, if any.

PART–E: Not Applicable.

PART-F: OTHER TERMS AND CONDITIONS

1. **a) Assignment:** Assignment is not allowed under this plan.

   b) Nomination: Nomination is required as per section 39 of the Insurance Act, 1938 as amended from time to time. The current provisions of Section 39 are contained in Annexure-II of this policy document.

   The notice of nomination or change of nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the policy is serviced. In registering nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion as to its validity or legal effect.

2. **Tax:** Statutory Taxes, if any, imposed on such insurance plans by the Government of India or any other constitutional tax Authority of India shall be as per the Tax laws and the rate of tax as applicable from time to time.

   The amount of service tax as per the prevailing rates shall be payable by the policyholder on the Purchase Price. The amount of tax paid shall not be considered for the calculation of benefits payable under the plan.

3. N**ormal requirements for benefit payable:**

   For annuities in payment:
   The Existence Certificate in the format prescribed by the Corporation is to be submitted by the Annuitant as and when required by the Corporation. In case of Option H/I/J (as defined in Condition 1of Part C), after the death of the Annuitant the Existence Certificate of the surviving spouse will be required.

   The Annuity payments shall be released only on receipt of the Existence Certificate.

   On death of the annuitant:
   The normal documents which the claimants shall submit while lodging the claim in case of death of the Annuitant shall be the claim form, as prescribed by the corporation, accompanied with original policy document, NEFT mandate from the claimant for direct credit of the claim amount to the bank accounts, proof of title, proof of death, whichever is applicable, to the satisfaction of the Corporation. If the age is not admitted under the policy, the proof of age of the Annuitant shall also be submitted.

4. **Legislative Changes:** The Terms and conditions payable under this policy are subject to variation in accordance with the relevant Legislation & Regulations.

PART-G: STATUTORY PROVISIONS

Section 45 of Insurance Act, 1938:

The provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 shall be applicable as amended from time to time. The current provisions are contained in Annexure-III of this policy document.

Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officers at Branch/ Divisional/ Zonal/ Central Office to redress grievances of customers. For ensuring quick redressal

अगर कोई ग्राहक हमसे प्राप्त प्रतिसाद से संतुष्ट नहीं है या उसे 15 दिनों के अंदर कोई प्रतिसाद प्राप्त नहीं होता है तो वह निम्नलिखित में से किसी माध्यम के ज़रिए आईआरडीएआई के शिकायत कक्ष से सम्पर्क कर सकता है:

- टोल फ्री नंबर 155255/18004254732 (अर्थात आईआरडीएआई के शिकायत कॉल सेन्टर) पर कॉल करके
- complaints@irda.gov.in पर ईमेल प्रेषित करें
- http://www.igms.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके
- कूरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता:

  उपभोक्ता मामला विभाग, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, 9वीं मंजिल, युनायटेड इंडिया टावर्स, बशीरबाग, हैदराबाद-500029, आंध्र प्रदेश.
- फैक्स नं. 040-66789768 पर शिकायत भेजकर

जो दावेदार मृत्यु के दावे को अस्वीकृत किए जाने के निर्णय से असंतुष्ट हों वे अपने मामले को समीक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विवाद समाधान समिति या केन्द्रीय कार्यालय दावा विवाद समाधान समिति के पास भेज सकते हैं। प्रत्येक दावा विवाद समाधान समिति में उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज सदस्य के रूप में हैं। शिकायतों से संबंधित दावों के समाधान के लिए दावेदार भारत सरकार द्वारा नियुक्त बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं जो कि ग्राहकों को कम खर्चे के साथ त्वरित गति से मध्यस्थता प्रदान करने के लिए है।

परिशिष्ट-I

केवल **विकल्प F ''क्रय कीमत को लौटाए जाने के साथ आजीवन वार्षिकी''** के अंतर्गत कम एक पॉलिसी वर्ष के पूरा होने पर, निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति के तहत अभ्यर्पण की अनुमति होगी:

अ. अगर प्रस्तुत किए गए कागजातों के आधार पर पाया जाता है कि वार्षिकी-ग्राही निम्नलिखित में से किसी गंभीर (क्रिटिकल) बीमारी से पीड़ित है, और इस जानकारी को निगम के मेडिकल जांचकर्ता ने संतोषजनक पाया हो:

1. विनिर्धारित तीव्रता का कैन्सर
2. मायोकार्डियल इंफ्राक्शन
3. ओपन चेस्ट CABG
4. ओपन हार्ट रिप्लेसमेन्ट या हार्ट वॉल्व्स की रिपेयर
5. किडनी की विफलता जिसमें नियमित डायलिसिस की ज़रुरत हो
6. स्ट्रोक जिसके परिणामस्वरुप स्थायी लक्षण पैदा हो
7. मुख्य अंग/बोन मैशे ट्रास्प्लांट
8. हाथ-पैरों का स्थायी पैरालिसिस
9. स्थायी लक्षणों के साथ मोटर न्यूरॉन डिजीज़
10. बार-बार उभरने वाले लक्षणों के साथ मल्टिपल स्क्लेरॉसिस
11. एंजियोप्लास्टी
12. सुसाध्य ब्रेन ट्यूमर
13. नेत्रहीनता
14. बधिरता
15. अंतिम अवस्था फेफड़े की विफलता
16. अंतिम अवस्था लीवर की विफलता
17. आवाज चली जाना
18. हाथ-पैरों की क्षति
19. मेज़र हेड ट्रॉमा
20. प्राइमरी (इडियोपैथिक) पल्मोनरी हायपरटेंशन
21. थर्ड डिग्री का जलना

ऊपर उल्लेख की गई गंभीर (क्रिटिकल) बीमारियों की मानक परिभाषा हेल्थ इंश्योरेन्स में मानकीकरण पर आईआरडीएआई की गाइडलाइन्स संदर्भ: IRDA/HLT/REG/CIR/146/07/2016 दिनांक 29/07/2016 या उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार होगी।

ब. अगर वार्षिकी-ग्राही स्थायी रुप से किसी अन्य देश को स्थानान्तरित हो रहा हो, जिसका प्रमाण उनके वीज़ा तथा नागरिकता संबंधी कागजात हों।

of customer grievances the Corporation has introduced Customer friendly Integrated Complaint Management System through our Customer Portal (website) which is http://www.licindia.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail id co_crmgrv@licindia.com for redressal of any grievances.

In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response from us within 15 days, then the customer may approach the Grievance Cell of the IRDAI through any of the following modes:

- Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call Centre)
- Sending an email to complaints@irda.gov.in
- Register the complaint online at http://www.igms.irda.gov.in
- Address for sending the complaint through courier / letter:

  Consumer Affairs Department, Insurance Regulatory and Development Authority of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh, Hyderabad – 500 029, Andhra Pradesh.
- Sending the complaint by Fax to 040-66789768

Claimants not satisfied with the decision of death claim repudiation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Committee or Central Office Claims Dispute Redressal Committee. A retired High Court/District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committees. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach Insurance Ombudsman who provides for low cost and speedy arbitration to customers.

Annexure - I

Surrender shall be allowed after completion of at least one policy year only under **Option F "Annuity for life with return of purchase price"** under any of the circumstances mentioned below:

A. If the annuitant is diagnosed as suffering from any of the following critical illnesses based on the documents produced to the satisfaction of the medical examiner of the Corporation:

1. Cancer of specified severity
2. Myocardial infraction
3. Open Chest CABG
4. Open Heart Replacement or Repair of Heart Valves
5. Kidney Failure requiring regular dialysis
6. Stroke resulting in Permanent Symptoms
7. Major Organ/Bone Marrow Transplant
8. Permanent Paralysis of Limbs
9. Motor Neurone Disease with Permanent Symptoms
10. Multiple Sclerosis with Persisting Symptoms
11. Angioplasty
12. Benign Brain Tumor
13. Blindness
14. Deafness
15. End stage Lung failure
16. End stage liver failure
17. Loss of speech
18. Loss of Limbs
19. Major Head Trauma
20. Primary(Idiopathic)Pulmonary Hypertension
21. Third Degree Burns

The standard definition of the critical illnesses mentioned above shall be as per the IRDAI guidelines on Standardisation in Health Insurance Ref: IRDA/HLT/REG/

देय अभ्यर्पण मूल्य पॉलिसी को अभ्यर्पित करते समय पॉलिसीधारक की उम्र (पिछले जन्मदिन) पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट II

नामांकन– बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अनुसार

1. जीवन बीमा की पॉलिसी का धारक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हेतु पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है, जिसे/जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि का भुगतान किया जाएगा।

   शर्त यह है कि, अगर नामित व्यक्ति नाबालिग हो, तो पॉलिसीधारक के लिए यह कानूनन उचित होगा कि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित तरीके से किसी व्यक्ति को नियुक्त करे जो कि नामित व्यक्ति के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी द्वारा संरक्षित राशि को प्राप्त कर सके।

2. ऐसे किसी नामांकन को प्रभावी होने के लिए, अगर वह पॉलिसी की शब्द योजना में निगमित नहीं है, तो उसे बीमित करने के लिए सूचित पॉलिसी पर पृष्ठांकन तथा पॉलिसी से संबंधित रिकॉर्ड्स में उसके द्वारा पंजीकरण के ज़रिए निगमित किया जाएगा, तथा ऐसे कोई नामांकन पॉलिसी के परिपक्व होने से पहले किसी भी समय भुगतान से पूर्व किसी पृष्ठांकन या वसीयत, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा रद्द किए या बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार निरस्तीकरण या परिवर्तन के लिए बीमाकर्ता को लिखित में सूचना न दी गई हो तो बीमाकर्ता पॉलिसी के अतंर्गत उसके द्वारा वास्तविक बनाए गए पॉलिसी की शब्द योजना में उल्लिखित या बीमाकर्ता के रिकॉर्ड्स में पंजीकृत नामांकित को किसी भुगतान के लिए दायी नहीं होगा।

3. बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को नामांकन के पंजीकृत कराए जाने या उसके निरस्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वारा विनिर्धारित ऐसे निरस्तीकरण या परिवर्तन को पंजीकृत करने के लिए शुल्क भी ले सकता है।

4. धारा 38 के अनुक्रम में पॉलिसी में किसी अंतरण या समनुदेशन से नामांकन स्वत: रद्द हो जाएगा:

   शर्त यह है कि बीमाकर्ता को पॉलिसी का समनुदेशन, जो कि समनुदेशन के समय पॉलिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की जमानत पर, उसके अभ्यर्पण मूल्य या पुन: समनुदेशन के अंतर्गत हो, ऋण स्वरूप की भरपाई करने पर नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामित के अधिकार केवल उस हद तक प्रभावित होंगे, जितना कि पॉलिसी में बीमाकर्ता का हित हो:

   आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिति या समनुदेशित द्वारा अग्रिम रूप से दिए गए ऋण के प्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरण या समनुदेशन, चाहे यह पूर्णत: हो या अंशत:, नामांकन रद्द नहीं होगा, लेकिन नामांकित व्यक्ति के अधिकारों को उसी हद तक प्रभावित करेगा, जो कि पॉलिसी में अंतरिती या समनुदेशित का हित होगा:

   शर्त यह भी है कि नामांकन जो कि अंतरण या समनुदेशन पर उसके परिणामस्वरूप अपने आप रद्द हुआ हो, वह नामांकन समनुदेशित द्वारा पुन: समनुदेशन या अंतरिती द्वारा ऋण के भुगतान पर सिवाय बीमाकर्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुन: अंतरण से स्वत: पुन: प्रचालित हो जाएगा।

5. जहां पॉलिसी की भुगतान हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित किया गया है या अगर नामित व्यक्ति या एक से अधिक नामितों में से सभी पॉलिसी के भुगतान हेतु परिपक्व होने से पहले मर जाते हैं, वहां पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षित राशि का भुगतान पॉलिसीधारक या उसके उत्तराधिकारियों या

   कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक को, जैसी भी स्थिति हो, किया जाएगा।

6. जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों को किया जाएगा।

7. इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहां बीमा पॉलिसी के धारक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिता या अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, ऐसे नामित उप–धारा (6) के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा देय राशि के लिए लाभार्थी होंगे, जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पॉलिसी का धारक, पॉलिसी में उसके टाइटल की प्रकृति के अनुसार नामांकित को ऐसा लाभार्थी टाइटिल प्रदान नहीं कर सकता है।

CIR/146/07/2016 dated 29/07/2016 or as amended from time to time.

B. If the annuitant is shifting to another country permanently as evidenced in their visa or citizenship documents.

The surrender value payable shall depend on the age (last birthday) of the policyholder at the time of surrender of the policy.

Annexure – II

Nomination - As per section 39 of the Insurance Act, 1938, as amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

1. The holder of a policy of life insurance on his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person or persons to whom the money secured by the policy shall be paid in the event of his death:

   Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawful for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the minority of the nominee.

2. Any such nomination in order to be effectual shall, unless it is incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy communicated to the insurer and registered by him in the records relating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by an endorsement or a further endorsement or a will, as the case may be, but unless notice in writing of any such cancellation or change has been delivered to the insurer, the insurer shall not be liable for any payment under the policy made bonafide by him to a nominee mentioned in the text of the policy or registered in records of the insurer.

3. The insurer shall furnish to the policy holder a written acknowledgement of having registered a nomination or a cancellation or change thereof, and may charge such fee as may be specified by regulations for registering such cancellation or change.

4. A transfer or assignment of a policy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:

   Provided that the assignment of a policy to the insurer who bears the risk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the insurer's interest in the policy:

   Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or in part, in consideration of a loan advanced by the transferee or assignee to the policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:

   Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or assignment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or retransferred by the transferee in favour of the policyholder on repayment of loan other than on a security of policy to the insurer.

5. Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose life is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, all the nominees die before the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives or the holder of a succession certificate, as the case may be.

6. Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by the policy shall be payable to such survivor or survivors.

7. Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees

8. उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या अगर एक से अधिक नामित हों, जिन पर उप–धारा (7) लागू होती है, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन को बीमित किया गया है, के बाद मर जाता है तो पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि या मरनेवाले नामित या नामितों जैसी भी स्थिति हो, के हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली पॉलिसी द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्तराधिकारियों या कानूनी प्रतिनिधियों या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किया जाएगा तथा वे ऐसी राशि को पाने के लिए अधिकृत लाभार्थी होंगे।

9. उप–धाराओं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदनियों से किसी उधारदाता के अधिकार को नष्ट या समाप्त नहीं करेगा।

10. उप–धाराओं (7) और (8) के प्रावधान बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2014 के आरंभ होने के बाद भुगतान के लिए परिपक्व होने वाली जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों पर लागू होंगे।

11. जहां पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद हुई हो, लेकिन पॉलिसी की आय और हितलाभ का भुगतान उसे उसकी मृत्यु के कारण न हुए हों, तो उसके द्वारा नामित उसकी पॉलिसी के अंतर्गत आमदनी और हितलाभ को पाने का पात्र होगा।

12. इस धारा के प्रावधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर लागू नहीं होंगे, जिस पर धारा 6, विवाहित स्त्री सम्पत्ति अधिनियम 1874 लागू होता हो या कभी लागू किया गया हो।

    शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2015 के आरंभ होने से पहले बीमित व्यक्ति के पत्नी या उसकी पत्नी तथा बच्चों या उनमें से किसी के पक्ष में अभिव्यक्त रूप से नामांकन किया गया हो, चाहे वह पॉलिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धारा के अंतर्गत किया गया है, कथित धारा 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नहीं होगी।

परिशिष्ट III

बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के अनुसार

1. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी की तिथि से अर्थात पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है।

2. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारी होने की तिथि या जोखिम आरंभ होने की तिथि या पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय, जो भी बाद में हो, धोखेधड़ी के आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है।

    शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर यह फैसला लिया गया है।

    स्पष्टीकरण I: इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, ''धोखेधड़ी'' का अर्थ है बीमाधारक या उसके एजेन्ट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए प्रभावित करने के इरादे से किया गया निम्नलिखित में से कोई कार्य:

    अ. सुझाव, जो कि तथ्य रूप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमाधारक को विश्वास नहीं है;

    ब. बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छिपाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकता पर उसे विश्वास था;

    स. धोखेधड़ी के इरादे से उठाया गया कोई अन्य कदम; तथा

    द. कोई अन्य ऐसा कदम या भूल–चूक जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी मानता हो।

    स्पष्टीकरण II: बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के आकलन को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में सिर्फ़ चुप रहना धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधारक या उसके एजेन्ट का यह कर्तव्य है। बोलने से चुप रहना या अन्यथा उसकी खामोशी अपने आप में बोलने के बराबर हो।

3. उपधारा (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी बीमाकर्ता किसी जीवन बीमा पॉलिसी को धोखेधड़ी के आधार पर अस्वीकृत नहीं

shall be beneficially entitled to the amount payable by the insurer to him or them under sub-section (6) unless it is proved that the holder of the policy, having regard to the nature of his title to the policy, could not have conferred any such beneficial title on the nominee.

8. Subject as aforesaid, where the nominee, or if there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the person whose life is insured but before the amount secured by the policy is paid, the amount secured by the policy, or so much of the amount secured by the policy as represents the share of the nominee or nominees so dying (as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficially entitled to such amount.

9. Nothing in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or impede the right of any creditor to be paid out of the proceeds of any policy of life insurance.

10. The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life insurance maturing for payment after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

11. Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefit of his policy has not been made to him because of his death, in such a case, his nominee shall be entitled to the proceed and benefit of his policy.

12. The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has at any time applied:

    Provided that where a nomination made whether before or after the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of the wife of the person who has insured his life or of his wife and children or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy, as being made under this section, the said section 6 shall be deemed not to apply or not to have applied to the policy.

Annexure-III

Section- 45 as per Insurance Act, 1938, as amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

1. No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy, i.e. from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.

2. A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later on the ground of fraud:

    Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision is based.

    Explanation I.-For the purposes of this sub-section, the expression "fraud" means any of the following acts committed by the insured or by his agent, with the intent to deceive the insurer or to induce the insurer to issue a life insurance policy:-

    a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;

    b) the active concealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;

    c) any other act fitted to deceive; and

    d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

    Explanation II- Mere silence as to facts likely to affect the assessment of the risk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the insured or his agent,

कर सकता है, अगर बीमाधारक/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वारा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही थी और उसने जानबूझकर तथ्यों को छिपाने की कोशिश नहीं की या कथित गलतबयानी या महत्त्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था।

धोखेधड़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है अगर पॉलिसीधारक जीवित नहीं है।

स्पष्टीकरण–कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रह और उसकी सौदेबाजी करता है उसे संविदा के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता का एजेन्ट माना जाएगा।

4. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जारी करने की तिथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुर्नचलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों के अंदर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, इस आधार पर प्रश्न के लिए बुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबंधित किसी तथ्य को प्रस्ताव प्रपत्र में या किसी अन्य कागजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुन:प्रचालित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, छिपाया गया था या गलत दिखाया गया था।

शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधारक को या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितों को लिखित में उन आधारों तथा तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी को अस्वीकृत करने का यह फैसला लिया गया है।

आगे शर्त यह है कि महत्त्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धोखेधड़ी की स्थिति न होने पर, अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बीमाधारक या बीमाधारक के कानूनी प्रतिनिधि या नामितों या समनुदेशितों को ऐसी अस्वीकृति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप–धारा के प्रयोजन हेतु, किसी तथ्य की गलतबयानी या छिपाए जाने को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव न हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाकर्ता का होगा कि अगर बीमाकर्ता को स्थापित तथ्य की जानकारी होती तो वह बीमाधारक को यह जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं करता।

5. इस धारा में निहित कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उम्र का प्रमाण मांगने से नहीं रोकती है, अगर वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पॉलिसी की सिर्फ़ इसलिए प्रश्न के लिए बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव में गलत उल्लेख की गई बीमित व्यक्ति की उम्र को सबूत के आधार पर बाद में समायोजित किया गया था।

keeping silence to speak, or unless his silence is, in itself, equivalent to speak.

3. Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall repudiate a life insurance policy on the ground of fraud if the insured can prove that the misstatement of or suppression of a material fact was true to the best of his knowledge and belief or that there was no deliberate intention to suppress the fact or that such misstatement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:

   Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholder is not alive.

   Explanation – A person who solicits and negotiates a contract of insurance shall be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the agent of the insurer.

4. A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrectly made in the proposal or other document on the basis of which the policy was issued or revived or rider issued:

   Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured the grounds and materials on which such decision to repudiate the policy of life insurance is based:

   Provided further that in case of repudiation of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiation shall be paid to the insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within a period of ninety days from the date of such repudiation.

   Explanation - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression of fact shall not be considered material unless it has a direct bearing on the risk undertaken by the insurer, the onus is on the insurer to show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.

5. Nothing in this section shall prevent the insurer from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adjusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

00000 - LIC's Jeevan Akshay VI Policy Document.indd 11 15-11-2016 11:43:53

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

नोट: अगर आपकी कोई शिकायत/समस्या, हो तो आप शिकायत समाधान अधिकारी/लोकपाल से सम्पर्क पर सकते हैं, जिनका पता नीचे दिया गया है:
NOTE: In case you have any Complaints/Grievance, you may approach Grievance Redressal Officer/ Ombudsman, whose address is as under:

शाखा कार्यालय का पता: / Address of Branch Office:

शिकायत समाधान अधिकारी का पता:
Address of Grievance Redressal Officer:

बीमा लोकपाल का पता:
Address of Insurance Ombudsman:

नोट: इन नियमों तथा शर्तों और विशेष प्रावधानों/शर्तों की व्याख्या में कोई विवाद होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।
Note: In case of dispute in respect of interpretation of these terms and conditions and special provisions/conditions the English version shall stand valid.

आपसे अनुरोध है कि इस पॉलिसी की जांच कर लें तथा इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे सुधार के लिए तुरन्त हमें लौटाएं

YOU ARE REQUESTED TO EXAMINE THIS POLICY, AND IF ANY MISTAKE BE FOUND THEREIN, RETURN IT IMMEDIATELY FOR CORRECTION.

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्या : 512
IRDAI Regn. No.: 512